

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(85)एम.ई./ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक: 02.11.2017

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रु 5400/-) में अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं। अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री देवी लाल, 43- अशोक विहार, नजदीक हल्दीराम जी प्याऊ, जयपुर रोड, बीकानेर-334001	01	01.08.1977	सामान्य	मेडिकल कॉलेज बीकानेर
2.	डॉ० राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसिंह, कुलहरी सदन ग्राम पोस्ट-टाई वाया-बिस्सु तह0 मलसीसर, जिला-झुंझुनू -331027(राज.)	04	01.04.1980	पिछडा वर्ग	मेडिकल कॉलेज बीकानेर
3.	डॉ० नवीन कुमार सीमतवाल पुत्र श्री मूलचन्द, 7, सिद्धार्थ विहार, 60 फुट रोड (NEB), अलवर (राज.)।	07	20.11.1979	अजा.	मेडिकल कॉलेज जयपुर
4.	डॉ० महेन्द्र सिंह पुत्र श्री उदय सिंह गुर्जर जनक कॉलोनी महवा, दौसा-321608 (राज.)	10-A	11.07.1979	विशेष पिछडा वर्ग	मेडिकल कॉलेज जयपुर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, में दायर SBCWP No. 8120/2017 डॉ० अमित श्रीवास्तव बनाम राज्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) व अन्य में प्रदत्त अन्तरिम आदेश दिनांक 18.08.2017 में पारित आदेश (" In the meanwhile, if any appointment during the interregnum period is made, the same shall be subject to the ultimate decision and/or any other order passed in the present writ petition..") के अधीन प्रदान की जाती है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन होगी।

आदेश से


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी-निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प.7(33)भर्ती/गोपनीय/2014-15/280 दिनांक 23.08.2017 के संदर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/ उदयपुर।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(85)एम.ई./ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक: 02.11.2017

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100(ग्रेड-पे रु 5400/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रुल्स/06 दिनांक 13.03.2006 एवं क्रमांक एफ. 14(1)एफडी/रुल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 22,180/प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रुल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० शंशाक शर्मा पुत्र श्री नरेश चन्द शर्मा श्याम सदन, गुर्जर मन्दिर के पास, मंगलपुरा, झालावाड़ (राज.)-326001	02	24.04.1987	सामान्य,	मेडिकल कॉलेज जयपुर
2.	डॉ० नरेन्द्र कुमार वैष्णव पुत्र श्री बंशीलाल वैष्णव, ओम साई कुन्ज, भीम कुन्ज के पास, सब्जीमण्डी के पास, कोटडी, कोटा (राज.)।	03	09.10.1979	सामान्य,	मेडिकल कॉलेज जोधपुर
3.	डॉ० इमरान शेख पुत्र श्री मेहमूद शेख एच/1 (ब्लॉक-एच रुम नं. 1) राजकीय बाहुमाली कॉम्प्लेक्स सिलवासा यू.टी. ऑफ दादर एण्ड नगर हवेली पिन कोड-396230	08	12.09.1987	सामान्य,	मेडिकल कॉलेज जोधपुर
4.	डॉ० श्वेता गोयल पत्नी श्री योगेशचन्द्र मोदी, आई-501, सिटी ऑफ गोल्डन जेम्स जगतपुरा, जयपुर- 302017(राज.)।	12	20.05.1984	सामान्य, महिला	मेडिकल कॉलेज जयपुर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, में दायर SBCWP No. 8120/2017 डॉ० अमित श्रीवास्तव बनाम राज्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) व अन्य में प्रदत्त अन्तरिम आदेश दिनांक 18.08.2017 में पारित आदेश (" In the meanwhile, if any appointment during the interregnum period is made, the same shall be subject to the ultimate decision and/or any other order passed in the present writ petition..") के अधीन प्रदान की जाती है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन होगी।


आदेश से


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी-निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(33)भर्ती/गोपनीय/ 2014-15/280 दिनांक 23.08.2017 के संदर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/ उदयपुर।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव